

पत्र संख्या : 7ब/4700-यो० ज०सं०-04/12 - 130

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

एस० के० शतपथी,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

प्रशासक/मुख्य अभियंता, चांडिल/ईचा-गालूडीह सुवर्ण रेखा परियोजना;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

रॉची, दिनांक: 15-10-12

विषय :- मॉग संख्या-49-जल संसाधन विभाग के अंतर्गत योजना मुख्य शीर्ष-4700-वृहद सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप-मुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष अंगीभूत उपयोजना, उप शीर्ष-09-स्वर्णरेखा परियोजना ए.आई.बी.पी. विस्तृत, शीर्ष-05-निर्माण, 45 मुख्य निर्माण कार्य, विपत्र कोड - 49P470080789090545 के अंतर्गत व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2012-13 में निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2012-2013 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4700-वृहद सिंचाई पर पूंजी परिव्यय के अंतर्गत परिशिष्ट-1 में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को आवंटन संसूचित किया जाता है -


क्र.	मॉग सं./मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष	उप शीर्ष /विस्तृत शीर्ष/ विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रु. में)
1	2	3	4	5
1.	49-जल संसाधन विभाग/4700-वृहद सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	80-सामान्य /789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष अंगीभूत उपयोजना	09-स्वर्णरेखा परियोजना ए.आई.बी.पी., 05-निर्माण, 45 मुख्य निर्माण कार्य, 49P470080789090545	3875.20

आवंटित राशि - ₹ अड़तीस करोड़ पचहत्तर लाख बीस हजार मात्र।

- आवंटित राशि वर्ष 2012-2013 के बजट उपबंध रु. 4878.00 लाख (अठतालीस करोड़ अठहत्तर लाख) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98 एवं 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति; सक्षम अधिकार द्वारा प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति एवं परिशिष्ट-1 पर अंकित कार्यों के अनुरूप किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।



(ओंकार नाथ)
सहायक अभियंता



(जयप्रकाश भट्टाचार्या)
उप सचिव (अभि०)



(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि०)



(बी. सी. निगम)
विशेष सचिव



7. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. AIBP योजनाओं के लिए MOU में भारत सरकार द्वारा अंकित शर्तों से संबंधित सभी अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। साथ ही तत्संबंधी प्रतिवेदन विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।
13. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉंची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
14. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 जनवरी 2013 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनु. :- यथोक्त

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :- 130 रॉंची, दिनांक :- 15-10-12

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. - हिनू रॉंची/कोषागार पदाधिकारी, रॉंची/डोरण्डा/जमशेदपुर/सरायकेला-खरसॉवा/चाईबासा सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।






अनु. :- यथोक्त

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :- 130 रॉंची, दिनांक :- 15-10-12

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त,/सचिव, योजना एवं विकास विभाग/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) रॉंची/अभियंता प्रमुख -I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.) जल संसाधन विभाग को पॉंच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉंची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

(ओंकार नाथ) (जयप्रकाश भट्टाचार्या) (सुबोध कुमार सिन्हा) (बी. सी. निगम) (एस० के० शतपथी)
सहायक अभियंता उप सचिव (अभि०) संयुक्त सचिव (अभि०) विशेष सचिव प्रधान सचिव

पत्रांक :- 130

दिनांक 15/10/22

का अनुलग्नक

परिशिष्ट - 1

मॉग संख्या-49-जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष - 4700 वृहद सिंचाई पर पूंजी परिव्यय

उप मुख्य शीर्ष - 80 सामान्य,

लघु शीर्ष -789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष अंगीभूत उपयोग

उप शीर्ष -09-स्वपरिखा परियोजना ए.आई.बी.पी.

विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण 45 मुख्य निर्माण कार्य, विपत्र कोड - 49P470080789090545

बजट उपबंध वर्ष 2012-13 में ₹ 4878.00 लाख (₹ अढतालीस करोड अठहत्तर लाख) मात्र।

(राशि लाख ₹ में)

क्र.	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	कार्य का नाम	वित्तीय वर्ष 2012-13 में			अभ्युक्ति
					पूर्व का आबंटन	वर्तमान आबंटन	कुल आवंटित राशि	
1	खरकई नहर प्रमण्डल, चार्डबासा	चांडिल / ईया-गालूडीह	सुवपरिखा परियोजना	B-land for Land Acquisition	0.00	3875.20	3875.20	खरकई बाँध प्रंसं-2, चालियामा के भू-अर्जन कार्य हेतु।
योग					0.00	3875.20	3875.20	

आवंटित राशि : ₹ अड़तीस करोड पचहत्तर लाख बीस हजार मात्र।

(ऑंकार नाथ)

सहायक अभियंता

(जयप्रकाश भट्टाचार्या)

उप सचिव (अभि.)

(सुबोध कुमार सिन्हा)

संयुक्त सचिव (अभि.)

(बी. सी. निगम)

विशेष सचिव

(एस० के० शतपथी)

प्रधान सचिव